	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 01, शुक्रवार, शाके 1945-दिसम्बर 22, 2023

Pausa 01 Friday, Saka 1945- December 22, 2023

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 05, 2023

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/ 4664 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत घाटोल (जिला बांसवाडा) को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एंव जनसंख्या
01.	बांसवाडा	घाटोल	ग्राम पंचायत घाटोल की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 14,049 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घाटोल के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घाटोल के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,

निदेशक एवं विषिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।